



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या – 19/2026

उ.प्र. राज्य प्रमुख सचिव गृह, अनुभाग-2, लखनऊ एवं एक अन्य

...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

परशुराम

... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- ज्ञानेंद्र नाथ

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं. 01 / 2026 पर आदेश)

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 2051/2025 (परशुराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.08.2025 को चुनौती दी गई है। यह अपील दिनांक 06.01.2026 को दायर की गई है। कार्यालय की आख्या के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 तक इसमें 115 दिनों का विलंब हो चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय IX नियम 10 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 117 के अनुसार, ऐसी अपील दायर करने की परिसीमा अवधि 30 दिन है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए शपथपत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. हमने विलंब क्षमा के लिए दायर आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र का अध्ययन किया है एवं उसमें प्रदान स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया है। शपथपत्र में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा गया है कि उच्च अधिकारी से अनुमति किस प्रकार मांगी जा रही थी एवं फिर किस प्रकार पत्रावली एक डेस्क से दूसरे डेस्क या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में घूमती रही। आक्षेपित निर्णय प्राप्त होने के बाद, मुख्य स्थायी अधिवक्ता से दिनांक 23.08.2025 के पत्र के माध्यम से विधिक राय मांगी गई थी, जो दिनांक 04.09.2025 को प्रदान की गई थी। इसके बाद, अपील दायर करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ स्थित गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के विशेष सचिव को पत्र लिखा गया। पत्र की तिथि को प्रकट नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पुनः विधि विभाग से अनुमति मांगी, यहां भी अनुमति मांगने की तिथि को प्रकट नहीं किया गया है एवं न ही कोई दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। विधि विभाग ने दिनांक 18.11.2025 को अनुमति प्रदान की। तीन माह से अधिक की इस विलंब अवधि का कोई भी स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है। विधि विभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त अनुमति के अनुसरण में, राज्य सरकार ने दिनांक 20.11.2025 को अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लखनऊ जोन, लखनऊ स्थित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। इसके बाद, यह कहा गया है कि पुलिस विभाग ने पत्रावली के आवंटन एवं अपील तैयार करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पत्र लिखा। संबंधित अधिकारी ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से संपर्क किया, लेकिन इस संपर्क की तिथि का उल्लेख नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता को लिखे गए पत्र के दिनांक का भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया गया है। अंततः दिनांक 27.11.2025 को अभिलेख पुस्तिका (पेपर बुक) स्थायी अधिवक्ता को आवंटित की गई एवं उसके बाद, जैसा कि दावा किया गया है, 'पैरोकार' ने दिनांक 02.12.2025 एवं दिनांक 15.12.2025 को उनसे संपर्क किया एवं उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए। इसके बाद स्थायी अधिवक्ता ने अपील का प्रारूप तैयार किया एवं उसे दाखिल किया। अब, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, अपील दिनांक 06.01.2026 को दाखिल की गई थी। जैसा कि बताया गया है, दिनांक 14.08.2025 से दिनांक 18.11.2025 की मध्यवर्ती अवधि हेतु कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है।

4. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *शिवम्मा (मृत) बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन 1969* में हाल ही में घोषित निर्णय दिनांक 12.09.2025 में धारित किया गया है कि मात्र प्रशासनिक प्रक्रियाएं या पत्रावली का एक कार्यालय या डेस्क से दूसरे कार्यालय या डेस्क पर स्थानांतरण, जैसा कि इस मामले में हुआ है, इस प्रकार के विलंब के लिए स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. हमने प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय, *शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य (2025 एससीसी ऑनलाइन 1969*, दिनांक 12.09.2025 को निर्णीत) के आधार पर परीक्षण किया एवं अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के प्रस्तर 11 में संदर्भित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार किया, परन्तु हमें इस अपील को दायर करने में हुए अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने *शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त)* मामले में यह धारित किया है कि "पर्याप्त कारण" शब्द लापरवाहीपूर्ण एवं पुराने दावों पर बल देने की समस्या का कोई रामबाण इलाज नहीं है। इस शब्द की व्याख्या न्यायोन्मुख नम्यता के साथ की जानी चाहिए ताकि निर्दोष वादियों को उन उनके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के लिए दंडित न किया जाए। न्यायालयों को घोर लापरवाही, आशयपूर्ण निष्क्रियता या उदासीनता को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से "मुकदमेबाजी के अंत में राज्य का हित है" के सिद्धांत का हनन होगा एवं परिसीमा विधि द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली निश्चितता अस्थिर हो जाएगी। "पर्याप्त कारण" शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परिसीमा के अनुशासन को बनाए रखते हुए तात्त्विक न्याय अग्रसर हो। न्यायालयों को सहानुभूति या तकनीकी कठोरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने उपचार प्राप्त करने में युक्तियुक्त तत्परता बरती है। जहां स्पष्टीकरण वास्तविक, तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है, वहां न्यायालयों ने विलंब क्षमा करने का रुख अपनाया है। जहां लापरवाही, सद्भावना की कमी या लापरवाही का दृष्टिकोण स्पष्ट है, वहां विलंब क्षमा से इनकार कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने युक्तियुक्त तत्परता नहीं प्रदर्शित की है एवं न ही उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है। उपरोक्त कारणों से उनकी ओर से लापरवाही, सद्भावना का आभाव एवं शिथिलतापूर्ण दृष्टिकोण प्रकट होता है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मामले के गुणदोष के आधार सशक्त वाद होना विलंब क्षमा का आधार नहीं है। जब विलंब क्षमा के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जांच मात्र इस बात तक सीमित होती है कि क्या अपील या कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दाखिल न करने का "पर्याप्त कारण" दर्शित किया गया है। अन्तर्निहित वाद के गुणदोष का इस जांच से कोई भी संबंध नहीं है। यदि न्यायालय इस स्तर पर मामले की योग्यता पर विचार करेंगे, तो इससे प्रारंभिक प्रक्रियात्मक प्रश्नों एवं वास्तविक निर्णय के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, जिससे न्यायिक जांच के दो भिन्न चरण परस्पर मिश्रित हो जाएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उद्देश्य यह निर्धारित करना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं है कि दावा विधिक या तथ्यात्मक रूप से सशक्त है या नहीं, बल्कि मात्र यह निर्धारित करना है कि क्या आवेदक के पास विलंब का उचित कारण था। "पर्याप्त कारण" की कसौटी को मामले के गुणदोष की जांच से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। विलंब क्षमा, विलंब के स्पष्टीकरण पर आधारित विवेकाधिकार का मामला है, न कि मामले में सफलता की संभावनाओं पर। यदि वाद की विशेषताओं पर विचार किया जाए, तो सशक्त वाद के वादी को लापरवाही के बावजूद क्षमा प्रदान की जा सकती है, जबकि दुर्बल मामले को पर्याप्त कारण बताए जाने के बाद भी खारिज किया जा सकता है। इससे विधि का असमान एवं असंगत अनुप्रयोग होगा, जिससे परिसीमा के सिद्धांत द्वारा स्थापित एकसमान मानक का हनन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब क्षमा के चरण में गुण-दोष पर विचार न करने का एक एवं व्यावहारिक कारण बताया है, वह यह है कि इससे मामले की प्रारंभिक सुनवाई से पूर्व ही न्यायालय का किसी एक पक्ष के विरुद्ध पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की आशंका रहती है। गुण-दोष पर समय से पूर्ण विचार करने से न्यायालय अनजाने में ऐसा मत बना सकता है जो बाद में निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इस स्तर पर न्यायिक अनुशासन की यह अपेक्षा है कि मात्र विलंब के कारण की ही जांच की जाए, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए, हम इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकते।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी विचार किया कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राज्य की शिथिलता एवं निष्क्रियता के लिए कोई रियायत दी जा सकती है। इस विषय पर विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, अंततः न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि '**पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड' (2012) 3 एससीसी 563** निर्णय से पूर्व, विलंब क्षमा के मामलों में राज्य एवं उसके संस्थानों के प्रति न्यायिक सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जाता था, क्योंकि उनके कार्यव्यवहार की प्रकृति विशिष्ट थी। साथ ही, इसके विपरीत मत भी उपलब्ध थे, जैसे '**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एडमिनिस्ट्रेटर, हावड़ा नगर पालिका' (1972) 1 एससीसी 366** एवं '**लंका वेंकटेश्वरलू (डी) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य' (2011) 4 एससीसी 363** वादों में यह माना गया कि चाहे वादी सरकारी संस्था हो या निजी व्यक्ति, परिसीमा के प्रावधान समान रूप से लागू होंगे एवं न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायत भी समान रहेगी। **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** के निर्णय के बाद वर्तमान विधि स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। विलंब की क्षमा अपवाद रहेगी, नियम नहीं। सरकारी वादियों को भी, निजी पक्षों की भांति, विलंब के लिए वास्तविक, पर्याप्त एवं ठोस कारण दर्शित करना होगा। ऐसे औचित्य के अभाव में, मात्र आवेदक की पहचान के आधार पर विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि '**राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम बाल किशन माथुर (मृत) द्वारा विधिक**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिनिधि' (2014) 1 एससीसी 592 एवं शिव राज सिंह बनाम भारत संघ' (2023) 10 एससीसी 531 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त) का निष्कर्ष मूलतः द्विस्तरीय है। पहला, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा से संबंधित मामलों में राज्य या उसके किसी भी निकाय से वरीयतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। राज्य का मूल्यांकन किसी भी निजी वादी के समान, उन्हीं मानकों पर किया जाना चाहिए। अन्यथा, परिसीमा की शुचिता से समझौता होगा। दूसरे, सरकारी विभागों द्वारा विलंब क्षमा मांगने के आधार के रूप में नौकरशाही की लालफीताशाही, प्रक्रियात्मक अड़चनों या प्रशासनिक अक्षमताओं पर बार-बार निर्भर रहना, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए सदैव "पर्याप्त कारण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे कारणों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तो परिसीमा विधि द्वारा लागू किया जाने वाला अनुशासन ही अशक्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों में अंतहीन अनिश्चितता उत्पन्न होगी। हमने उक्त निर्णय के अन्य भागों, जिनमें पैरा 214 एवं अनुवर्ती भाग सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया है।

8. **शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त)** वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, अपीलकर्ताओं द्वारा विलंब के संबंध में दायर शपथपत्र में प्रस्तुत स्पष्टीकरण अपर्याप्त है।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें अपील दायर करने में हुई इस अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं प्राप्त होता है। तदनुसार, विलंब क्षमा का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप अपील भी **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

12 जनवरी, 2026

प्रवीण